



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23441-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29833/2025

अनीता देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार श्रीवास्तव, शरद चंद्र श्रीवास्तव, शिवाजी श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को मुकदमा अपराध संख्या-0323/2025, धारा 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना अदलहाट, जनपद मिर्जापुर की विवेचना संपन्न करने और पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष लंबित है।"
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता हैं और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.10.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या-2/पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या-2/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वी.के.जी.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"